प्राक्कथन

राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम 2003 की धारा 7ए के तहत बनाये गये नियम 8 के अनुसार, सी ए जी को यह जिम्मेदारी सौपी गई थी कि वह वित्तीय वर्ष 2014-15 के आरम्भ से अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की आवधिक समीक्षा करे तथा ऐसी समीक्षाओं को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करे।

मार्च 2018 और मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिये अधिनियम व नियमों के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये प्रावधानों के अनुपालन पर सी ए जी का यह चौथा प्रतिवेदन है। यह, 1 अप्रैल 2018 में उल्लेखनीय रुप से संशोधित अधिनियम और नियमों के बाद, प्रथम प्रतिवेदन है। इसमें उपलब्धियों के साथ-साथ एफ आर बी एम लक्ष्यों की आलोचनात्मक जांच की गई है और मध्यम अवधि नीति विवरणों तथा मध्य अवधि व्यय रुपरेखा के पूर्वानुमानों की वास्तविकों से तुलना तथा इस अंतर के लिए कारणों का विश्लेषण करती है। इसके अतिरिक्त पारदर्शिता व प्रकटन से संबंधित मुद्दों पर सरकार द्वारा अपेक्षित कार्यवाई को विशेष रुप से बताया गया है।

इस प्रतिवेदन में प्रस्तुत टिप्पणियां, मुख्यतः वित्त वर्ष 2017-18 व 2018-19 से संबंधित बजट दस्तावेजों एवं संघीय वित्त लेखों की, जांच पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों के प्रकाशन और सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सरकारी निकायों की रिपोर्टों और प्रकाशनों का भी संदर्भ लिया गया था।

प्रतिवेदन में अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा से उजागर महत्वपूर्ण परिणाम शामिल है। इस प्रतिवेदन में उन उदाहरणों को उल्लेखित किया गया है जो 2017-18 व 2018-19 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए। जहाँ कहीं भी उचित है, 2017-18 से पहले की अवधि से संबंधित राजकोषीय संकेतकों पर प्रभाव वाले मामलों को भी शामिल किया गया।

लेखापरीक्षा को सी ए जी द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संपन्न किया गया है।